Marketing and Publicity
Head Office
agmmkt@mahabank.co.in; cmmedia@mahabank.co.in

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पीएम केयर्स निधि (PM CARES Fund) के लिए अनुदान संग्रहण हेतु नामित किया

पुणे, 6 अप्रैल, 2020 : बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) को भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स निधि (PM CARES Fund) के अनुदान संग्रहण के लिए नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत आपातकालीन निधि (पीएम केयर्स फंड) यह कोविड - 19 महामारी के संकट सहित आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों को आवश्यक सहायता और राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निधि जुटाने हेतु 28 मार्च 2020 को स्थापित किया गया था।

इसमें आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, चेक और डिमांड ड्राफ्ट (जो कि पीएम केयर्स फंड के पक्ष में आहरित हो), के माध्यम से अंशदान दिया जा सकता है।

कोई व्यक्ति बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नामित बचत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से सीधे भी धन प्रेषित कर सकता है।

ऐसे सभी अंशदान आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 G के अंतर्गत 100 प्रतिशत आयकर छूट के लिए पात्र होंगे।

नागरिक और संगठन निम्नलिखित विवरण के अनुसार पीएम केयर्स फंड में अनुदान दे सकते हैं :

खाते का नाम	:	**PM CARES**
खाता क्रमांक	:	**60355358964**
आईएफएससी कोड	:	**MAHB0001160**
बैंक का नाम	:	**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**
शाखा का नाम	:	**यूपीएससी शाखा**
पता	:	**धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली - 110069**

समाज के सभी तबके के लोग इस विकराल महामारी कोविड - 19 के विरुद्ध इस शौर्यपूर्ण लड़ाई में सरकार के वित्तीय पक्ष को मज़बूत करते हुए इस ज़रूरी उद्देश्य हेतु अंशदान दे रहे हैं, जिनमें प्रतिष्ठित/ आईकॉनिक हस्तियां भी शामिल हैं। कार्पोरेट, सरकारी संगठन, रक्षाकर्मी, पीएसयू, फिल्म और खेलजगत की हस्तियां भी सरकार के आह्वान पर उदारतापूर्वक अंशदान दे रही हैं। कृपया इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दें।